सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 618 / सो.आ.नि.–393(1) / 2020
दिनाँकः 08 जनवरी, 2021

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) उ0प्र0।

विषयः– ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का जनपद स्तर पर पैनल तैयार किया जाना।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए गत वर्षों की तुलना में अधिकाधिक संख्या में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सोशल आडिट सम्पन्न कराने एवं सोशल आडिट की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक जिले में जनपद स्तर पर **ब्लाक संसाधन व्यक्तियों** (Block Resource Persons) का पैनल तैयार किए जाने हेतु निदेशालय द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जा रही है जिसकी प्रति आपके सूचनार्थ **संलग्नक–1** पर प्रेषित है। प्रत्येक जनपद में पैनल पर रखे जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख **संलग्नक–2** में दिया गया है। ब्लाक संसाधन व्यक्तियों हेतु आवेदन–पत्र जिला विकास अधिकारी कार्यालय में दिनांक 30–**01–2021** तक प्राप्त किए जाएंगे।

2– प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करने हेतु निम्नवत् चयन समिति का गठन करते हुए **15 फरवरी, 2021** तक प्रत्येक दशा में ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें, ताकि 01 अप्रैल, 2021 से इनकी सेवाएं ली जा सकें:–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मण्डलायुक्त द्वारा नामित किसी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/किसी प्रतिष्ठित संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

3– यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर अपनी सेवाएं दे रहे ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के पैनल पर रखे जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को दैनिक आधार पर सूचीबद्ध कराने, उन्हें विवरण सहित सुरक्षित रखने तथा निर्धारित अवधि तक पैनल तैयार कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

8/1/21

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः– /सो0आ0नि0– /2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
2. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक।

उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन

(उ0प्र0 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी)
(सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0)
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

संख्या: .... दिनांक : ....

विज्ञप्ति

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए गत वर्षों की तुलना में अधिकाधिक संख्या में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सोशल आडिट सम्पन्न करने एवं सोशल आडिट की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक जिले में जनपद स्तर पर **ब्लाक संसाधन व्यक्तियों** (Block Resource Persons) का पैनल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने का दायित्व सौंपा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट हेतु ब्लाक संसाधन व्यक्ति को रू0 2000/– व्यवसायिक शुल्क तथा रू0 500/– व्यवसायिक यात्रा शुल्क की अनुमन्यता प्राविधानित है। इंगेज किए जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) से कितनी ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट में सहयोग प्राप्त किया जाएगा, यह निर्णय निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0 के विवेकाधीन होगा। यह भी सम्भव है कि पैनल में रखे गए किसी BRP को वर्ष में एक भी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट को करने का अवसर न मिल सके। ब्लाक संसाधन व्यक्ति से सोशल आडिट से सम्बन्धित अन्य कार्य भी यथावश्यक निर्धारित व्यावसायिक शुल्क पर लिया जा सकता है।

2– ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) के पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हता/प्राथमिकता/आयु सीमा:

(i) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
(ii) जन समस्याओं से संबंधित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।
(iii) कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्षता हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो।
(iv) आयु– 01 जनवरी, 2021 को न्यूनतम आयु 40 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष के बीच हो।
(v) अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी हो।
(vi) निदेशालय के सौजन्य से सोशल आडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अथवा सोशल आडिट की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों तथा मनरेगा जॉबकार्डधारी के परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।

3– यह स्पष्ट किया जाता है कि **ब्लाक संसाधन व्यक्ति के रूप में पैनल पर रखे गए व्यक्ति की सेवाएं किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं है और न ही भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए उनकी कोई हकदारी होगी। पैनल पर रखे गए व्यक्ति को किसी भी समय बिना नोटिस दिए पैनल से हटाया जा सकता है।**

4– इस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार किया गया पैनल 31 मार्च, 2023 तक के लिए मान्य होगा। आवेदन पत्र जिला विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा संगठन की वेबसाइट www.socialauditup.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

5– ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी।

6– उपरोक्तानुसार इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से निम्नांकित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:–

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

अभ्यर्थी की स्व–हस्ताक्षरित फोटो

1– सेवा का नाम : **ब्लाक संसाधन व्यक्ति,** जनपद ....

2– अभ्यर्थी का नाम : श्री/सुश्री ....

3– जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

4– पिता/पति का नाम :

5– शैक्षिक योग्यता :

6– कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता की पुष्टि में प्रमाण–पत्र का विवरण:

7– अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण एवं कृत सोशल आडिट का विवरण) :

8– मूल निवास का पता, विकास खण्ड एवं जनपद सहित :

9– पत्राचार का पता, मोबाइल नं0 तथा ई–मेल (यदि हो) :

<u>अभ्युक्ति</u>– मूल निवास, शैक्षिक योग्यता, अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण/कृत कार्यवाही) की पुष्टि में स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र/अभिलेख की प्रति संलग्न करें। मूल निवास के प्रमाण हेतु निर्वाचन परिचय–पत्र या आधार कार्ड भी मान्य होगा।

<u>संलग्नकों का विवरण</u> :

1– .... 2– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर व दिनांक

7– भरे हुए आवेदन–पत्र सम्बन्धित जनपद के **जिला विकास अधिकारी कार्यालय** में स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे जाने चाहिए कि आवेदन पत्र **दिनांक 30–01–2021** तक कार्यालय अवधि में अवश्य प्राप्त हो जाएं।

8/1/21

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक